

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 23.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपने थाने से इतनी दूर पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो, साथ ही सभी प्र०नि०/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उन सभी समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें।



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित की गयी उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह मय हमराह का0 राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. महेन्द्र कुशवाहा पुत्र जमुना नि.मु.दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अ.सं.45/2021 धारा 60 आब0अधि0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त को बेलाताल रोड़ पानी की टंकी के पास वहद कस्बा श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसको बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह
2. का0 राघवेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

महेन्द्र कुशवाहा पुत्र जमुना उम्र करीब 25 वर्ष नि.मु.दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा।



थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उ0नि0 सत्यपाल सिंह मय हमराह म.का. शांती शाहू व म.का. प्रतिमा देवी व का. अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी, गठित पुलिस टीम ने थानास्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2022 धारा 342/307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सबिता गोस्वामी पत्नी रामप्रकाश गोस्वामी उम्र 58 वर्ष निवासी बजरंग चौक डीएम बंगला के पास गांधीनगर थाना कोतवाली नगर महोबा को मुहल्ला बजरंग चौक डीएम बंगला के पास गांधीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सबिता गोस्वामी पत्नी रामप्रकाश गोस्वामी उम्र 58 वर्ष निवासी बजरंग चौक डीएम बंगला के पास गांधीनगर थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सत्यपाल सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2 म.का. शांती शाहू 3. म.का. प्रतिमा देवी
4. का. अजीत सिंह



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना कुलपहाड़ में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गयी-

आज दिनांक 23.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार द्वारा थाना कुलपहाड़ महोबा में उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण दीक्षित व प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री बिनोद कुमार की मौजूदगी में आगामी त्यौहार होली व शब-ए-बारात के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों एवं धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी/शान्ति समिति की बैठक आयोजित हुयी।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा बताया गया कि जनपदीय पुलिस प्रशासन आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपनी कार्यशैली को लेकर निष्पक्ष, निर्भीक व विधि संगत कार्य करने के लिए कटिबद्ध है, बेहतर सुरक्षा का भाव जागृत करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है इसलिये आप सभी आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखते हुये आगामी त्यौहारो को शांतिपूर्ण तरीके से मनाये, साथ ही सभी सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं धर्म गुरुओं से अपील की गयी कि सभी अपने क्षेत्र में प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे जिससे अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।



थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित संयुक्त टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसमें क्रमशः प्रथम टीम के उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. अरविन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उम्र 28 वर्ष 2. रामखिलावन पुत्र नारायण उम्र 25 वर्ष, सम्बन्धित वारण्ट मु0नं0 123/18 धारा 379/511 भादवि में गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय टीम के उ0नि0 विवेक कुमार यादव द्वारा अभियुक्त दिनेशचन्द्र चौरसिया पुत्र भगवानदास चौरसिया सम्बन्धित परिवाद सं. 124/2019 धारा 138 NI ACT में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 विवेक कुमार यादव प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 दीपेश कुमार यादव
4. कां0 रामकुमार तिवारी
5. कां0 रावेन्द्र कुमार सोनकर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उम्र 28 वर्ष
2. रामखिलावन पुत्र नारायण उम्र 25 वर्ष निवासीगण भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा
3. दिनेशचन्द्र चौरसिया पुत्र भगवानदास चौरसिया निवासी मु. कस्बाथाई कोतवाली महोबा



04

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व/निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक 23.02.2023 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर० के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के 109 ई-चालान किये गये ।

